بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

Office of The sadar Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश ख़ुत्बः ईदुल-अज़हियः सैय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक 02.12.16 मस्जिद बैतुल फ़तूह, लंदन।

समस्त शिकायत कर्ताओं पर स्पष्ट होना चाहिए, जो नाम नहीं लिखते कि उनका यह काम कि अपने परिचय के बिना शिकायत करें, क़ुरआन के आदेशों के विरुद्ध है।

किसी की शिकायत पर निर्णय ख़ुदा तआला के बताए हुए नियमानुसार होगा।

ख़लीफ़-ए-वक़्त की ओर से जो नियुक्त किए गए हैं निर्णय लेने के लिए, अल्लाह तआला उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे कि वे न्याय प्रत्येक प्रक्रिया को सम्मुख रखते हुए तथा अल्लाह तआला के आदेशानुसार चलते हुए और सुन्नत के अनुसार निर्णय करने वाले बनें।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

कुछ लोग कई ओहदेदारों के विरुद्ध अथवा कुछ ऐसे लोगों के विरुद्ध भी, जो ओहदेदार नहीं, शिकायत करते हैं कि ये ऐसे और ये वैसे हैं। इसने अमुक अपराध किया है तथा उसने शरीअत के विरुद्ध अमुक कार्य किया, अतः तुरन्त उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए क्यूँकि ये लोग जमाअत को बदनाम कर रहे हैं। परन्तु अधिकांशतः ऐसा लिखने वाले अपनी शिकायतों में अपने नाम नहीं लिखते अथवा काल्पनिक नाम और काल्पनिक पता लिखते हैं। ऐसे लोगों की शिकायतों पर ज़ाहिर है कोई कार्यवाही नहीं होती और न हो सकती है और जब कुछ समय बीत जाए तो फिर शिकायत आती है कि मैंने लिखा था अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यदि कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। यह बिना नाम के शिकायत करने की बीमारी जो है, यह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के लोगों में अधिक है। तो यह कोई नई बात नहीं है प्रत्येक युग में ऐसे लोग पाए जाते रहे हैं। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी, तृत्तीय ख़िलाफ़त में भी, चतुर्थ ख़िलाफ़त में भी ये शिकायत करने वाले विद्यमान थे जो बिना नाम के शिकायतें किया करते थे। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु ने एक अवसर पर एक बार एक ख़ुत्बः दिया था। क्यूँकि यह ऐसे लोगों का मुंह बन्द कराने के लिए बड़ा व्यापक एंव स्पष्ट सम्बोधन है इस लिए इस ख़ुत्बः से मैंने लाभान्वित होते हुए आज कुछ कहने का सोचा है।

जो शिकायत करने वाले अपने नाम नहीं लिखते अथवा काल्पनिक नाम लिखते हैं, पहली बात तो यह है कि यह पाखंड है अथवा वे झूठे होते हैं। यदि उनमें साहस एंव सच्चाई हो तो किसी भी बात की चिंता करने वाले न हों। प्रतिज्ञा तो यह करते हैं कि हम जान, माल, समय तथा मर्यादा का बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और यहाँ जब बात उनके विचार के अनुसार जमाअत के सम्मान एंव प्रतिष्ठा की आती है तो अपना नाम छुपाने लग जाते हैं ताकि कहीं उनकी प्रतिष्ठा एंव सम्मान आहत न हों। अतः जिसने आरम्भ में ही दुर्बलता दिखा दी उसकी शेष बातें भी अनुचित होने की बड़ी स्पष्ट सम्भावना है।

क़ुरआन-ए-करीम में तो अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुम्हारे पास यदि कोई सूचना पहुंचे तो छान बीन कर लिया करो और यह बात प्रत्येक बुद्धिमान जानता है कि सूचना पहुंचाने वाले की बात सुनकर तुरन्त उस सूचना के सम्बंध में छान बीन आरम्भ नहीं की जा सकती, न होती है बल्कि यह देखा जाता है कि यह सूचना देने वाला स्वयं कैसा है। इसी से छान बीन आरम्भ होती है। बात पहुंचाने वाले के विषय में पहले छान बीन होगी कि क्या वह हर प्रकार के दोषों से मुक्त है, स्वयं तो वह किसी बुराई में लिप्त नहीं? ईमान में कमज़ोर तो नहीं? यह न हो कि स्वयं तो ईमान में कमज़ोर हो और दूसरों पर आरोप लगा रहा हो कि यह ऐसा है वैसा है। अतः छान बीन करने से पहले यह देखना पड़ता है कि शिकायत करने वाला कैसा है, वह मोमिन है अथवा फ़ासिक़ (घोर पापी)। जब शिकायत करने वाले के विषय में ज्ञान ही नहीं तो यह भी पता नहीं चल सकता कि वह किस

श्रेणी में आता है। हाँ, यह सम्भव है कि यदि कोई लिखने वाला ऐसी बात लिखता है जो जमाअत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाली हो तो फिर अपने तौर पर छान बीन कर ली जाती है। हज़रत मुस्लेह मौऊद फ़रमाते हैं कि क़ुरआनी शिक्षा यह है, अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-करीम में फ़रमाता है कि إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

यदि तुम्हारे पास कोई फ़ासिक़ शिकायत लेकर आता है और किसी के बारे में कोई बुरी बात कहता है तो उसकी छान बीन करो, फिर उसके बाद कोई कार्यवाही करो परन्तु शिकायत करने वाले एक तो अपना नाम न लिखकर स्वयं दोषी बनते हैं फिर यह भी कहते हैं कि उनकी बात उसी रूप में स्वीकार भी की जाऐ जिस प्रकार उन्होंने लिखी है तथा जिसके विरुद्ध शिकायत है तुरन्त उसके लिए दंड देने का आदेश पारित कर दिया जाए। हज़रत मुस्लेह मौऊद फ़रमाते हैं कि फ़ासिक़ का अर्थ केवल पापी ही नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अरबी भाषा में पापी को भी फ़ासिक़ कहते हैं। परन्तु शब्दकोष के अनुसार फ़ासिक़ उसे भी कहते हैं जो तेज़ स्वभाव का हो, बात बात पर लड़ पड़ता हो। फ़िस्क़ का अर्थ तुच्छ प्रकार का आज्ञापालन भी है, आज्ञापालन से बाहर निकलने वाला भी फ़ासिक़ है, फ़ासिक़ का अर्थ सहयोग न करने वाला भी है, फ़ासिक़ का अर्थ वह व्यक्ति भी है जो लोगों के छोटे छोटे दोषों को लेकर बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और फिर यह भी कहता है कि उसको बड़ा भारी दंड मिलना चाहिए, क्षमा का कोई करने अवसर नहीं। तेज़ स्वभाव वाले को भी फ़ासिक़ कहते हैं। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु एक अहमदी दोस्त के विषय में फ़रमाते हैं- पुराने निष्ठावान अहमदी थे, जहाँ तक उनकी निष्ठा का सम्बंध है, उसमें कोई सन्देह नहीं परन्तु उनको छोटी सी बात पर बड़ा फ़त्वा लगाने की आदत थी। आप कहते हैं कि उनके स्वभाव में यह दोष था कि छोटी छोटी बातों को लेकर कुफ़्र से पहले नहीं ठहरते थे, कोई बात पकड़ी और कुफ़्र का फ़त्वा लगा दिया। इस प्रकार हज़रत मुस्लेह मौऊद ने ऐसे जल्द बाज़ों की, चाहे वे निष्ठावान भी हों, यह उपमा दी है। जो नाम भी छिपाता हो तथा स्वयं ईमान में भी कमज़ोर हो तथा दूसरे पर फ़त्वे भी लगाता है तो वह इन समस्त अर्थों के अनुसार जो फ़ासिक़ शब्द के बयान किए गए हैं, फ़ासिक़ ही कहलाता है।

अतः उन समस्त शिकायत करने वालों पर स्पष्ट होना चाहिए, जो नाम नहीं लिखते, उनका यह कार्य कि अपने परिचय के बिना शिकायत करें, क़ुरआन के आदेशों के विरुद्ध है। क्यूँकि क़ुरआन-ए-करीम कहता है कि पहले शिकायत करने वाले के विषय में छान बीन करो। यदि केवल शिकायत करने वाले की बात पर ही बिना छान बीन के प्रतिक्रिया होने लग जाए जिसको वह चाहता है तो जमाअत बजाए प्रगति करने के पतन की ओर जाना आरम्भ हो जाएगी। ख़लीफ़-ए-वक़्त के द्वारा तथा जमाअत के निज़ाम द्वारा भी अपनी कोई छान बीन नहीं होगी, जो कोई जैसा कहेगा उसके अनुसार प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी और यह बात भी प्रगति की ओर नहीं ले जा सकती। हर कोई उठेगा और यही कहेगा कि मेरी इच्छाओं के अनुसार ही फ़ैसले किए जाएँ। हज़रत मुस्लेह मौऊद बयान करते हैं कि यदि हम जानते भी हों कि शिकायत करने वाला व्यक्ति अत्यंत सावधान है, सज्जन पुरुष भी है, निष्ठावान भी है, यदि वह किसी की शिकायत करता है तो तब भी सब कुछ जानने के बावजूद आवश्यक रूप से उसकी छान बीन करनी पड़ेगी और छान बीन होगी। आप फ़रमाते हैं कि रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज़ पढ़ा रहे थे, नमाज़ के बीच कोई चूक हो गई तो हज़रत अली रज़ीअल्लाहु तआला अन्हु नमाज़ पढ़ने वालों में शामिल थे, उन्होंने टोका। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसन्द नहीं फ़रमाया। आपने उन्हें कहा कि तुम्हें किस ने कह दिया कि पीछे से टोको। आप फ़रमाते हैं कि इसको नापसन्द करने का एक यह अर्थ भी हो सकता है कि तुम्हारे ज़िम्मे अन्य बड़े बड़े काम हैं, इन छोटे छोटे कामों को अन्य लोगों के लिए रहने दो और यह अभिप्रायः भी हो सकता है कि यह काम उन क़ारियों का है जो रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुरआन सीखते थे, तुम यह काम उनके लिए रहने दो। हज़रत मुस्लेह मौऊद अपने पास उस बेनाम शिकायत करने वाले के बारे में फ़रमाते हैं कि हो सकता है कि शिकायत करने वाले ने अपना नाम प्रकट नहीं किया, हो सकता है शिकायत करने वाला कोई बड़ा आदमी हो तो मैं उसे कहूँगा कि तुम इन बातों को किसी और के लिए रहन दो तथा अपने मूल कार्य की ओर ध्यान दो। अतः लिखने वाले ने अपना नाम प्रकट नहीं किया इस लिए उसकी श्रेणी और स्तर का ज्ञान नहीं हो सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह कि एक ओर तो वह लोगों की शिकायत कर रहा है कि वे क़ुरआन-ए-करीम और रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा के विरुद्ध कार्य करते हैं तथा दूसरी ओर स्वयं उसके विरुद्ध जाता है कि उसने शिकायत की तथा शिकायत और उसके प्रमाणों की जो शर्तें रखी हैं, वह स्वयं उनको तोड़ रहा है तथा अधिकांश लोग यही करते हैं। मुझे भी जब लिखते हैं तो उन शर्तों को ही तोड़ रहे होते हैं। मूल बात तो क़ुरआन-ए-करीम के

आदेशों पर तथा सुन्नत के अनुसार कार्य करना है और क़ुरआन-ए-करीम तो यही कहता है कि खुलकर जब बात की जाए तो उसके प्रमाण भी उपलब्ध कराए जाएँ, छान बीन भी की जाए। जब नाम ही प्रकट नहीं हो रहा तो छान बीन किस प्रकार होगी और यह स्पष्ट रूप से क़ुरआन-ए-करीम के विरुद्ध है। अतः शिकायत करने वाला स्वयं क़ुरआन-ए-करीम के आदेश की अवहेलना करता है। क़ुरआन-ए-करीम की शिक्षा तथा आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा के अनुसार कार्य करना, यही नेकी है, यह बात सदैव याद रखनी चाहिए। व्यक्तिगत भावना की दृष्टि से अथवा समाज के प्रभाव के कारण कोई बात बुरी लगे परन्तु यदि क़ुरआन-ए-करीम की शिक्षानुसार अथवा आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार वह उपयुक्त हो तो वह उचित है तथा उसमें कोई दोष नहीं। इस बात को स्पष्ट करते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. एक घटना बयान करते हैं कि एक बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत उम्मुल मोमिनीन को साथ लेकर स्टेशन पर टहल रहे थे। उन दिनों पर्दे का भावार्थ बड़ा जटिल पर्दा होता था, उस ज़माने में। स्टेशन पर डोलियों में महिलाएँ आती थीं, दाएँ बाएँ उसकी चादरें गिरी होती थीं और जब रेल के डिब्बे में बैठ जातीं थीं तो फिर खिड़कियाँ बन्द कर दी जाती थीं ताकि महिला पर किसी की नज़र न पड़े। आप फ़रमाते हैं कि यह पर्दा कठिनाई में डालने वाला था तथा इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध था और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, इस्लाम की शिक्षानुसार काम किया करते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन बुर्क़ा पहन लेती थीं और सैर के लिए बाहर चली जाती थीं। उस दिन भी हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने बुर्क़ा पहना हुआ था और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आपके साथ स्टेशन पर टहल रहे थे। मौलवी अब्दुल करीम साहब तथा हज़रत ख़लीफ़ः अव्वल भी साथ थे। मौलवी अब्दुल करीम साहब का स्वभाव बड़ा तेज़ था। उनको लगा कि यह अनुचित हो रहा है। स्वयं तो कहने का साहस नहीं था, ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल के पास गए और कहा कि मौलवी साहब यह क्या अनर्थ हो गया, कल समाचार पत्रों में शोर पड़ जाएगा कि मिर्ज़ा साहब प्लेट फ़ार्म पर अपनी पत्नि को साथ लेकर फिर रहे थे। आप जाकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को समझाएँ। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल ने कहा कि इसमें क्या बुराई है, मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, यदि आपको बुराई लग रही है तो स्वयं ही जाकर कह दें। तो इस प्रकार मौलवी अब्दुल करीम साहब हज़रत मसीह मौऊद के पास गए। आप टहलते हुए बड़ी दूर चले गए थे और जब मौलवी साहब वापस आए तो गर्दन झुकी हुई थी। हज़रत ख़लीफ़ः अव्वल रज़ी. फ़रमाते हैं कि मुझे जिज्ञासा हुई कि पूछूँ कि क्या उत्तर मिला। अतः मैंने पूछा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया? मौलवी साहब ने कहा कि जब मैंने हुज़ूर से कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे तो आपने फ़रमाया, आख़िर वे क्या कहेंगे, यही कहेंगे न कि मिर्ज़ा साहब अपनी बीवी के साथ यूँ फिर रहे थे। मौलवी साहब लज्जित होकर वापस आ गए। रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नियों के संग फिरना बुरा नहीं समझते थे और जिस बात की अनुमति इस्लाम ने दी है उसको बुराई नहीं कहा जा सकता।

अतः यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर आपत्ति करता है तो उसका अर्थ यह है कि उसके विचार में वह व्यक्ति इस्लाम की शिक्षानुसार काम नहीं करता परन्तु आप रज़ी. शिकायत करने वाले के विषय में बताते हैं कि उसने अपने पत्र में लिखा अमुक तुच्छ श्रेणी का है, अमुक कमीना है तथा उसको आपने अमुक ओहदा दिया हुआ है तथा कुछ आरोप इस प्रकार के लगाए जिनके विषय में शरीअत ने गवाह मांगे हैं। आप फ़रमाते हैं कि देखो, शिकायत करने वालों का स्तर क्या हुआ। पहले तो उसने अपना नाम प्रकट नहीं किया फिर जो प्रमाण आवश्यक हैं, वे पेश नहीं किए। शरीअत के नियमों से न तो मैं स्वतंत्र हूँ न ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम स्वतंत्र हैं। रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं शरीअत के नियमों का पालन करने में विवश थे। अतः उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी आपत्तियाँ की हैं जिन पर शरीअत हद लगाती है तथा शरीअत ने उनके लिए साक्ष्य का जो प्रावधान निश्चित किया है उस प्रावधान पर चलना अनिवार्य है परन्तु वह कहता है कि अमुक व्यक्ति ने क़ुरआन-ए-करीम का अमुक आदेश तोड़ा है, उसे दंड दो परन्तु मुझे कुछ न कहो।

आपत्ति करने वाले उचित या अनुचित आपत्ति करते हैं परन्तु आपत्ति करने की क्रिया दोष पूर्ण होती है और इस प्रकार उसको दंड दिलाते दिलाते स्वयं दंड के भागीदार हो जाते हैं और फिर शोर मचाते हैं कि दोषी को कोई पकड़ता नहीं, जो ध्यान दिलाता है उसे दंडित कर देते हैं। जबकि दंड देने वाले क्या करें, वे भी तो शरीअत के ग़ुलाम हैं। यदि क़ुरआन-ए-करीम का राज्य स्थापित करना चाहते हो तो अपने ऊपर भी ख़ुदा तआला के राज्य को स्थापित करो। यदि तुम यह चाहते हो दूसरों पर तो ख़ुदा तआला की हकूमत क़ायम हो और तुम पर ख़ुदा तआला की हकूमत स्थापित न हो तो यह ठीक बात नहीं है। मैं तो शिकायत करने वालों से कहता हूँ कि अयाज़ क़द्रे ख़ुद बशनास अर्थात- अयाज़ तुम अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने स्तर को पहले याद रखो और

पहचानो। नाम छिपाने वाले अपना नाम छिपाकर दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। आरोप लगाने वाले वास्तव में स्वयं तुच्छ लोग होते हैं। हमने तो अल्लाह तआला के आदेशानुसार चलना है और अल्लाह तआला ही है जो हमारा रब्ब भी है तथा प्रत्येक का रब्ब है। वह जीवन सामग्री भी देता है और पालता है और जब अल्लाह तआला से हम सब कुछ ले रहे हैं तो फिर बात अल्लाह तआला की मानी जाएगी, न कि उन आरोप लगाने वालों की। जैसा कि मैंने कहा कि ये शिकायतें करने वाले लोग चाहते हैं कि दूसरों को शरीअत के अनुसार दंड दिया जाए तथा स्वयं अपने आपको शरीअत के आदेशों से बाहर निकाल लेते हैं, बरी कर देते हैं। स्वयं ही न्याय करने वाले बन जाते हैं अपने। तो ऐसे लोगों के सामने जब बात आएगी, खुलेगी तो फिर उनको भी शरीअत के अनुसार ही दंड मिलेगा।

कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ गवाहों की आवश्यकता होती है, यदि गवाह पेश नहीं हुए तो फिर उस बात का कोई औचत्य नहीं होता तथा इस प्रकार शरीअत के अनुसार, क़ुरआन के अनुसार फिर उसका निर्णय होगा। कई बार यह कहा जाता है कि उसने झूठी क़सम खा ली और अपने आपको बचा लिया। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक बार ऐसा मामला आया, दो झगड़ने वाले आए तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआला के आदेशानुसार एक पक्ष क़सम खाएगा। दूसरे ने कहा कि यह तो झूठा व्यक्ति है, यह तो सौ क़समें भी खा लेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने तो ख़ुदा तआला के आदेशानुसार निर्णय करना है यदि यह झूठी क़समें खाता है तो उसका मामला फिर ख़ुदा तआला के साथ है, वह स्वयं ही उसे सज़ा देगा।

अतः यह सदैव याद रखना चाहिए कि किसी की शिकायत पर निर्णय केवल उसी के बताए हुए नियम के अनुसार नहीं होगा। शिकायत पर फ़ैसला ख़ुदा तआला के बताए हुए नियम के अनुसार होगा जहाँ दो गवाहों की आवश्यकता है वहाँ दो गवाह पेश करने होंगे, जहाँ चार गवाहों की आवश्यकता है वहाँ चार गवाह पेश करने होंगे तथा इसके अनुसार ही फिर छान बीन भी होगी और निर्णय भी होगा। हमारी सफलता इसी में है कि हम ख़ुदा तआला के आदेशानुसार अपने मामले तथा निर्णय करने वाले बनें और अपने व्यक्तिगत अहंकारों तथा भावनाओं को आधार बनाकर व्यवस्था को विवश करने वाले अथवा ख़लीफ़-ए-वक़्त को विवश करने वाले न हों कि उसकी इच्छाओं के अनुसार निर्णय किए जाएँ। अल्लाह तआला शिकायत करने वालों को भी बुद्धि प्रदान करे कि यदि वे उचित समझते हैं तो फिर खुलकर समस्त प्रमाणों के साथ शिकायत करें जिसमें उनका नाम और पता भी हो और फिर छान बीन में वे भी शामिल हों। इसी प्रकार लोग जब देखते हैं कि वास्तव में जमाअत की व्यवस्था में कोई बाधा आ रही है तो फिर साहस के साथ सामने आना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए और हर बात का फिर मुक़ाबला करना चाहिए। इसी प्रकार अल्लाह तआला, निज़ाम-ए-जमाअत जो है उसको भी सामर्थ्य प्रदान करे और बुद्धि प्रदान करे कि ख़लीफ़-ए-वक़्त की ओर से जो नियुक्त किए गए हैं, निर्णय करने के लिए, वे भी जब फ़ैसले कर रहे हों तो न्याय की प्रत्येक प्रक्रिया को सम्मुख रखते हुए तथा अल्लाह तआला के आदेशानुसार चलते हुए और सुन्नत के अनुसार निर्णय करने वाले बनें।

ख़ुत्बः के अन्त में हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- नमाज़ों के बाद मैं जनाज़ा ग़ायब भी पढ़ाऊँगा। पहला जनाज़ा एक शहीद का है, मुकर्रम शेख़ साजिद महमूद साहब पुत्र मुकर्रम शेख़ मजीद अहमद साहब, 55 वर्ष जिनकी आयु थी, हल्क़ा गुलज़ार हिजरी ज़िला कराची में रहते थे। विरोधियों ने 27 नवम्बर 2016 को मग़रिब की नमाज़ के समय घर के बाहर फ़ायरिंग करके शहीद कर दिया।इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन

अगला जनाज़ा मुकर्रम शेख़ अब्दुल क़दीर साहब पुत्र मुकर्रम अब्दुल करीम साहब का है जो दर्वेश क़ादियान थे। 26 नवम्बर 2016 को दिल की धड़कन बन्द हो जाने के कारण 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

तीसार जनाज़ा तनवीर अहमद लोन साहब, नासिराबाद कशमीर का है। यह पुलिस में थे, 25 नवम्बर को ड्यूटी के समय ज़िले के क्रन्द्रीय स्थान कोलगाम में अज्ञात बन्दूक़ धारियों की फ़ायरिंग के कारण निधन हो गया। यह भी शहीद का ही स्तर रखते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

हुज़ूर-ए-अनवर ने तीनों मृतकों के सद्गुणों एंव सेवाओं का वर्णन फ़रमाया।